

न्यायालय अति जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 13/2014

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
श्री सीमेन्ट लि ब्यावर जरिये वरिष्ठ प्रबंधक (विधि) एवं पॉवर ऑफ एटार्नी हॉल्डर, श्री कमलकिशोर शर्मा, जिला अजमेर		1. नितिन भाटी पुत्र श्री सुन्दरलाल, जाति धोबी, निवासी 17, नवरंग नगर ब्यावर, जिला अजमेर, राज. 2. प्रेमचंद कुचेरिया पुत्र चैनाराम कुचेरिया, जाति भांबी, निवासी 49 सी-13 मुण्डोली, अंधेरी देवली तहसील मसुदा, जिला अजमेर 3. कविन्द्र मकवाना पुत्र श्री रतनलाल मकवाना जाति कोली, निवासी 8ए श्री. कृष्णा कॉलोनी, गणेशपुरा रोड़ ब्यावर, जिला अजमेर 4. माणकचंद पुत्र पोकरराम जाति मेघवाल, निवासी प्लाट नम्बर 84 गोपाल नगर मसुदा रोड ब्यावर, जिला अजमेर 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील रायपुर, जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-

श्री पवन रांकावत, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री विष्णु कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक :- 29.10.2018

प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी को खान एवं भू विज्ञान विभाग ने लीज प्रदान की है, जो दिनांक 14.11.1996 को लीजडीड निष्पादित की है, समय समय पर रिन्यूअल होती है। उक्त लीज वर्तमान में कार्यशील है। लीजडीड के अनुसार प्रार्थी को लीज क्षेत्र के आस-पास विभिन्न गांवों में भी अवस्थित भूमि, जिनके खसरा नम्बर पृथक पृथक है, के खातेदारान से अवाप्त कर कम्पनी खनन कार्य करने हेतु प्रक्रियाधीन है। ग्राम बुटीवास के खसरा नम्बर 461 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 462 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 463 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 464 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 465 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 469 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा कुल खसरा 06 कुल रकबा 54 बीघा 03 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है, जो प्रार्थी के लीज क्षेत्र के समीप स्थित है, जिसमें प्रार्थी ईकाई द्वारा अपने लीज क्षेत्र में खनन कार्य करने हेतु उक्त भूमि का समनुषंगी कार्य

अति. जिला कलेक्टर, पाली

भूमि अवाप्ति अधिनियम लागू नहीं किया गया है, अतः प्रकरण में नए एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। नये भूमि अवाप्ति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूची प्रथम में भूमि धारको को प्रतिकर के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसके क्रम संख्या 1 से 6 के अन्तर्गत कुल प्रतिकर की गणना किस प्रकार की जायेगी, का क्रमवार उल्लेख किया गया है एवं उक्त अनुसूचि की क्रम संख्या 2 के अनुसार दिये जाने वाले प्रतिकर के कारको 1 से 2, जो कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट की दूरी पर आधारित होगा, जैसा कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जावे, क्रम संख्या 4 में भूमि से जुड़ी हुई सम्पत्तियों के निर्धारण एवं क्रम संख्या 5 में तोषण का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा, का उल्लेख किया गया है।

तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की दूरी निकटतम नगरपालिका क्षेत्र से 40 कि.मी. है एवं उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचना क्रमांक प01(3)राज. 6/2011/पार्ट/26 दिनांक 14.06.2016 में उल्लेखित भूमि का गुणक, जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावेगा, वह 2.00 है तथा गुणित किये गये उक्त बाजार मूल्य में एक्ट की अनुसूचि के प्रावधानों के अनुसार पेड़ पौधों व संपत्ति की कीमत को जोड़ा जाना है एवं धारा 30(1) के अनुसार ऐसी राशि की शत प्रतिशत तोषण की राशि होगी। प्रार्थी को राज्य सरकार के खनन विभाग द्वारा विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु पट्टा 50 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया गया है, जिसके सहायक कार्य हेतु प्रश्नगत भूमि चाही जाने से इस भूमि के खातेदार के सरफेस राईट का उल्लंघन होगा। जिसके लिये अप्रार्थी को प्रतिकर राशि का भुगतान किया जाना आज्ञापक है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में ही नियमानुसार मुआवजा भुगतान करने पर उक्त भूमि प्रार्थी कम्पनी के उपयोगार्थ दिये जाने हेतु सहमति जाहिर की है। अतः प्रतिकर का निर्धारण निम्नानुसार सारणी के अनुरूप किया जाता है -

	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	डी. एल. सी.दर	राशि (कॉलम संख्या 3 x 5)	नगर पालिका से दूरी व गुणक		कुल राशि (कॉलम संख्या 6 x 8) रु.
							7	8	
A	नितिन भाटी पुत्र श्री सुन्दरलाल, जाति धोबी, निवासी 17, नवरंग नगर ब्यावर, प्रेमचंद कुचेरिया पुत्र चैनाराम कुचेरिया, जाति भांबी, निवासी 49 सी-13 मुण्डोली, अंधेरी देवली तहसील मसुदा, कविन्द्र मकवाना पुत्र श्री रतनलाल मकवाना जाति कोली, निवासी 8ए श्री कृष्णा कॉलोनी, गणेशपुरा रोड़ ब्यावर.माणकचंद पुत्र पोकरराम जाति मेघवाल, निवासी प्लाट नम्बर 84 गोपाल नगर मसुदा रोड़ ब्यावर	461, 462, 463, 464, 465, 469	54 बीघा 03 बीस्वा	बा0दो0	59280	3202898.40	40	2	6405797.00
B	योग								6405797.00
C	प्रभावित भूमि पर अवस्थित पेड़ों की मालियत								0.00

D	अन्य संरचना	0.00
E	योग (कॉलम संख्या B + C + D)	6405797.00
F	तोषण 100 प्रतिशत (कॉलम E के समान राशि)	6405797.00
G	कुल देय प्रतिकर राशि (E + F)	12811594.00

अतः प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त मुआवजा राशि रूपये 12811594/- (अक्षरे एक करोड अठाईस लाख ग्यारह हजार पाचं सौ चौरानवें रूपए मात्र) अप्रार्थी के नाम का चैक बनाकर तहसीलदार रायपुर को एक माह की अवधि में उपलब्ध करावे। तहसीलदार रायपुर आदेशानुसार सम्बन्धित राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे। अपील अवधि गुजरने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में भूमि बिलानाम (सिवायचक) माईनिंग लीज अंकित की जावें। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का उपयोग प्रार्थी इकाई को लीज अवधि तक प्रचलित नियमों, निर्देशों, लीज डीड व विभागीय परिपत्रों के तहत एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89(2) में वर्णित माईनिंग से संबंधित समनुषंगी कार्यों (Subsidiary Purposes) के लिए ही करने का अधिकार होगा। भविष्य में राज्य सरकार अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा राशि भुगतान में संशोधन किया जाता है तो प्रार्थी द्वारा अन्तर राशि की अदायगी नियमानुसार की जाएगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायपुर/प्रार्थी कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।



(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर पाली

निर्णय आज दिनांक 29/10/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर पाली